

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी मर्यादित

(A GOVERNMENT OF C.G.UNDER TAKING) (A SUCCESSOR COMPANY OF C S E B)

CIN: U40108CT2003SGC015821

कार्यालय – कार्यपालक निदेशक (प्रशिक्षण)

विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान कोरबा पूर्व

e-mail : pgtitrg@gmail.com

कमॉक : 20 – 02 / पी जी टी आई / अप्रेन्टिसशिप / 04

कोरबा , दिनांक : 04/04/2022

विज्ञापन

अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 (Ads amended in 1973 , 1986 & 2014) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2022 – 2023 के लिये निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को एक (01) वर्षीय अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण (Apprenticeship Trg) हेतु नियोजित किये जाने हैं जो निम्नानुसार हैं :-

(1) Graduate Apprentice – ग्रेजुएट अप्रेन्टिस :-

कमॉक	Graduate in Branch	शिक्षु की संख्या	अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता	शिक्षुवृत्ति की दर
01.	Mechanical	24	मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग / टेक्नालॉजी में स्नातक	रूपये 9,000 /- प्रतिमाह
02.	Electrical	24		
03.	Electronics	02		
04.	E & E Engineering	03		
05.	Computer Science	02		
06.	Information & Technology	02		
07.	Civil	03		
	Total	60		

(2) Diploma Apprentice – डिप्लोमा अप्रेन्टिस :-

कमॉक	Graduate in Branch	शिक्षु की संख्या	अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता	शिक्षुवृत्ति की दर
01.	Mechanical	30	राज्य के तकनीकी बोर्ड/ मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में डिप्लोमा	रूपये 8000 /- प्रतिमाह
02.	Electrical	30		
03.	Electronics	03		
04.	E&E Engineering	02		
05.	Civil	03		
06.	Computer Science	03		
07.	Information & Technology	04		
	Total	75		

उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक उम्मीदवारों से (Apprenticeship) प्रशिक्षण हेतु आवेदन – पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। नियम एवं शर्तें :-

01. **आरक्षण :-** उम्मीदवारों का चयन छ.ग. शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुये किया जावेगा।
02. **चयन प्रक्रिया :-** पात्र उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा।

03. उम्मीदवारों का (Apprenticeship) प्रशिक्षण मात्र एक वर्ष की अवधि के लिये होगी प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड में अस्थाई / स्थाई किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे।
04. जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव एक वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं / कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं हैं।
05. चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 (amended in 1973, 1986 – 2014) के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। घोषणा पत्र का प्रारूप Contract Registration Form में उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के मध्य की अवधि एक वर्ष से कम अथवा एक वर्ष से तीन वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवारों को स्व-शपथ पत्र (Self Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। कि वे इस अवधि में अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं हैं (प्रारूप संलग्न) तीन वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे।
06. प्रशिक्षुओं (Apprentices) को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
07. अब्यर्थियों को National Apprenticeship Training Scheme (NATS) www.mhrdnats.gov.in में अपना Registration करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में वैध 16 Digit Registration Number अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा।
08. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - (a) संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र।
 - (b) संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र।
 - (c) 10 वीं एवं 12 वीं की अम्क सूची की छायाप्रति।
 - (d) अर्हकारी परीक्षा स्नातक / डिप्लोमा अंक सूची की छायाप्रति।
 - (e) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छ. ग. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (f) छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
 - (g) आधार कार्ड की छायाप्रति
 - (h) National Apprenticeship Training Scheme (NATS) का Registration Number
09. आवेदन करने की अंतिम तिथि कम्पनी की वेबसाइट www.cspc.co.in में प्रकाशन तिथि से 30 दिनों के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में (कार्यालयीन समय सुबह 10.00 बजे से शाम 05.30 तक) जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. आवेदन – पत्र संलग्न प्रारूप में प्रमाण – पत्रों की छायाप्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर प्रेषित / जमा करें :-

मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण)
पी. जी. टी. आई.
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड,
कोरबा पूर्व, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) 496-677
11. अन्य नियम एवं शर्तें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 (as amended in 1973, 1986 – 2014) के तथा समय समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी।


कार्यपालक निदेशक (प्रशिक्षण)

पी. जी. टी. आई.

छ रा विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित कोरबा पूर्व